अनुसूची 14-- फारम सं0 562

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीखः– 06/06/2022 से 10/06/2022

जिला– बोकारो, संख्याः– 04/2022-2023

केस का प्रकारः– अतिक्रमणवाद

आदेश की कम संख्या एवं तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
06/06/2022	हल्का राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से सूचित किया गया है कि मौजा बिरनी, थाना सं0 78, खाता सं0 186, प्लॉट सं0 960, रकबा 0.05 ए0 भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है। किस्म जंगल है। उक्त भूमि पर बिरेन्द्र कुमार पासवान पिता केदार पासवान, ग्राम बिरनी, टोला प्रतापपुर के द्वारा अवैध रूप से भूमि पर मकान निर्माण हेतु बुनियाद खोदा जा रहा है। तत्काल कार्य बंद करा दिया गया है। मूल कागजात की जांच हेतु कार्यालय से नोटिस किया जा सकता है। अतिक्रमण कर रहे व्यक्ति को भूमि संबंधी कागजातों के साथ उपस्थित होने के लिये नोटिस निर्गत करें। हल्का राजस्व उननिरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि वाद की अंतिम सुनवाई तक निर्माण कार्य पर रोक लगायें। A Sinha 06/06/2022 अंचल अधिकारी, नावाडीह। तदनुसार नोटिस निर्गत किया गया। अभिलेख दिनांक 10/06/2022 को उपस्थापित करे। A Sinha 06/06/2022 अंचल अधिकारी, नावाडीह।	
10/06/2022	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। पक्ष उपस्थित। उनके द्वारा भूमि हस्तांतरण से संबंधित कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि केवल झाड़ी साफ किया जा रहा था। चूँकि हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है एवं किस्म जंगल है जो कि सरकारी भूमि है। भूमि हस्तांतरण से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज नामित व्यक्ति के पास नहीं है। अतः उक्त सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने का आदेश दिया जाता है। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक इस पर सतत निगरानी रखेंगें। इसके साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। A Sinha 10/06/2022 अंचल अधिकारी, नावाडीह। A Sinha 10/06/2022 अंचल अधिकारी, नावाडीह।	

Digitally signed by ASHOK KUMAR SINHA
Date: 2023.01.25 21:10:22 +05:30
Location: 192.168.85.197

Scanned with CamScanner